

::राजस्थान सरकार::

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ0 सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं
संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।

क्रमांक:-एफ. 2/स्था./आमवि/जो0/2022/

दिनांक: /06/2022

:: कार्यालय आदेश ::

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्टता में मथुरादास माथुर चिकित्सालय के ट्रौमा सेन्टर में सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर चयनित किया जाता है।

| क्र.स. | चिकित्सक का नाम | विशिष्टता |
|--------|--|---------------|
| 1. | Dr. Parul Dhadheech D/o Sh. Mahesh Dhadheech | Maxillofacial |
| 2. | Dr. Gomati Dhandai D/o Sh. Roopa Ram | Maxillofacial |

- सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन शुरुआत में छः माह के लिए किया गया है, तत्पश्चात संतोषप्रद सेवा होने पर छः माह की ओर अभिवृद्धि की जा सकती है एवं सीनियर रेजीडेन्ट का कुल कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष का होगा।
- उपरोक्त सीनियर रेजीडेन्ट को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टाईफण्ड रु. 70150/- एवं नियमानुसार महगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- ये नियुक्ति उक्त चिकित्सक के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्वधीन होगी।
- उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय सेवारत अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारावृत्त पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी।
- चयनित अभ्यर्थी यदि हड़ताल अथवा अन्य अवाछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ-साथ आपाताकालीन सेवायें भी देनी होगी।
- इन्हें नियमानुसार इस छः माह की अवधि के दौरान 07 दिन का आकरिमक अवकाश देय होगा। सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टाईफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपनी उपस्थिति अधाहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्वधीन होगी।
- सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा।
- महिला अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेन्सी अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा।
- न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेन्ट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेंगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टाईफण्ड राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्रमांक:-एफ. 2/स्था./आमवि/जो0/2022/ 11669-74

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रापित है:-

- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष दन्त रोग विभाग विभाग, डॉ.एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
- प्रभारी, ट्रौमा सेन्टर मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर।
- नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड के लिए।
- लेखाशाखा, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
- संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/कॉलेज नोटिस बोर्ड।

(डॉ दिलीप कछावा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
दिनांक: 17/06/2022

(डॉ दिलीप कछावा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक